न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-161RAAJodhpur2022-71RTA223 Ruparam ors Vs Magaram etc

01. रूपाराम पुत्र सादुलाराम
02. धन्नाराम पुत्र सादुलाराम
03. महेन्द्रराम पुत्र सादुलाराम
04. प्रकाशराम पुत्र सादुलाराम
05. बबरीदेवी पत्नी सादुलाराम
समस्त जातियान् मेघवाल, निवासीगण खीरजा भोजा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स.....

ब
ना
म

1. मांगाराम पुत्र गंगाराम
2. मगाराम पुत्र गंगाराम
3. खेमी पत्नी गंगाराम
4. मोहनराम पुत्र हमीरराम
5. नेमाराम पुत्र हमीरराम
6. पप्पाराम पुत्र हमीरराम
7. अप्पाराम पुत्र हमीरराम
8. टीकूराम पुत्र हमीरराम
9. टूगीदेवी पत्नी हमीरराम
10. राजूराम पुत्र ओमाराम
11. विशनाराम पुत्र ओमाराम
12. पुखराम पुत्र ओमाराम
13. चौथीदेवी पत्नी ओमाराम
14. ईश्वरराम पुत्र किस्तुरराम
15. धर्माराम पुत्र किस्तुरराम जातियान् मेघवाल
16. झमूदेवी पत्नी रेंवतराम जाति गुरड़ा
17. राजूराम पुत्र राणाराम जाति मेघवाल निवासी खिरजा आशा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2021 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 37/2020 रूपाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत; अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार से पन्द्रह

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या अठारह

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2020 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम खिरजा भोजा तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 39 रकबा 14.15 बीघा के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2021 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई।अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को प्रशासन गांवो के संग में रखे जाने के सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स को न तो कोई सूचना दी गई थी, एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया एवं अपीलांट्स की अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली विचारण न्यायालय में वास्ते जवाब में नियत थी, जिसमे दिनांक 09-04-2021, 23-07-2021, 10-04-2021 को पी.ओ. साहब राजकीय दौरे पर होने से पत्रावली में तारीख पेशी इल्तवा की गई थी। दिनांक 10-04-2021 को पत्राली में पेशी दिनांक 08-10-2021 नियत की गई थी, किंतु उस दिन पत्रावली पेशी पर नहीं लेकर सीधे कैम्प में नियत की जाकर के निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किये गये है। कानूनन प्रशासन गांवो के संग में उन्हीं मामलो का निस्तारण होता था, जिसमे पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका हो, लेकिन मौजूदा प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा नही हुआ था, फिर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट रूपाराम के द्वारा ही इस प्रकरण की पैरवी की जाती रही है, अपीलाण्ट रूपाराम मजदूरी करने के लिए अपने गांव से बाहर चला गया था, दिनांक 27 अप्रैल 2022 को अपने अधिवक्ता से मिलने पर मालूम हुआ कि इस प्रकरण में दिनांक 02-12-2021 को निर्णय पारित कर दिया। तब अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेकर जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2020 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला पुनः विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक-हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक-हिस्सें में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में हिस्से गलत दर्ज होने अथवा हिस्सों में परिवर्तन का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि हो सके। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिरजा भोजा तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 39 रकबा 14.15 बीघा में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्कारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा भीं हक हिस्से परिवर्तित होने के संबंध में किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हे।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2020 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम मांगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2021 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विधिनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर(पूर्व में तैयार किया हुआ तो पुनः उभय पक्ष की उपस्थिति में नये सिरे से तैयार करे) विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का न्यायोचित निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी,जोधपुर
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर